UPBG010000982026

Regular Civil Appeal/1/2026
न्यायालयः जिला जज, बागपत।
उपस्थितः मनोज कुमार ।।।, एच.जे.एस.
जे0 ओ 0 कोड 0–यू0 पी0 1909

Regular Civil Appel-01/2026

1. पूजा पत्नी जितेन्द्र कुमार निवासी कस्बा अग्रवाल मण्डी टटीरी, थाना कोतवाली बागपत।

...अपीलार्थिनी।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा डी०जी०सी० (सिविल) बागपत, जनपद बागपत।

...विपक्षी।

अं०धारा–72(7) संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम।

निर्णय

1. प्रस्तुत सिविल अपील न्यायालय अपर जिलाधिकारी, बागपत द्वारा वाद संख्या 776/2025, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202511080000776, सरकार बनाम पूजा, अन्तर्गत धारा 72 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 15.12.2025, जिसके द्वारा अपीलार्थिनी के वाहन स्पलेन्डर मोटरसाईकिल नम्बर UP–17AA–1405, चैसिस नम्बर MALHAW230RGh01784, इंजन नम्बर HA11E8RGH01814 को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है, से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है।
2. संक्षेप में सिविल अपील से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, बागपत की संस्तुति सहित प्रेषित आख्या दिनांक 22.08.2025 के द्वारा प्राप्त थाना प्रभारी थाना बागपत की आख्या दिनांक 19.08.2025 के आधार पर प्रारम्भ की गयी, जिसमें इंगित किया गया हैं कि थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 475/25 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम बनाम जितेन्द्र कुमार पुत्र सत्ते निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना व जिला बागपत द्वारा वाहन स्पलेण्डर मोटर साईकल नम्बर–UP–17AA–1405 चैसिस नम्बर–MBLHAW230RGH01784 इंजन नम्बर–HA11E8RGH01814 से 45 पव्वे देशी यूपी मार्का ले जाते समय गिरफ्तार किया गया है। उक्त वाहन श्रीमती पूजा पत्नी जितेन्द्र निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना व जिला बागपत के नाम पंजीकृत है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी बागपत द्वारा उक्त वाहन का अनुमानित बाजार मूल्य रू० – 60,000/–(साठ हजार रूपये मात्र) आंका गया है। अन्त में अनुरोध किया गया

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.03.06 16:55:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है कि वाहन स्पलेण्डर मोटर साईकल नम्बर –UF–17AA–1405 चैसिस नम्बर–MBLHAW230RGH01784 इंजन नं0 HA11E8RGH01814 का प्रयोग अवैध शराब के परिवहन में करने के कारण उ०प्र० आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 72 के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाये।

3. विपक्षीगणों को धानाध्यक्ष/पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस जारी किये गये, नोटिस तामित उपरान्त विपक्षीगण अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए तथा आपत्ति प्रस्तुत की जिसमें उल्लेख किया गया है कि विपक्षीगण को जारी किया गया नोटिस दिनांकित कतई असत्य कथनों के आधार पर विधि विरुद्ध तरीके से जारी किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। आपत्तिकर्तागण द्वारा वाहन यू०पी०–17 एए–1405 के द्वारा शराब की तस्करी एवं अवैध तरीके से बिक्री कर राज्य सरकार के आबकारी राजस्व को कोई क्षति नहीं पहुंचायी है क्योंकि आपत्तिकर्ता संख्या 2 शादी में जा रहा थे रास्ते पुलिस द्वारा आपत्तिकर्ता संख्या 2 को रोक लिया गया और अवैध धन की मांग की अवैध धन ने देने पर आपत्तिकर्ता संख्या 2 व पुलिस वालो के बीच नोक झोक हो गयी जिसका मजा चखाने हेतु पुलिस द्वारा उक्त अपराध में झूठा निरूद्ध किया गया है। आपत्तिकर्तागण शराब की तस्करी का कोई कार्य नहीं करते है जो मुकदमा अपराध संख्या 475/25 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के लगाया गया है वह पुलिस द्वारा आपत्तिकर्तागण को तंग व परेशान करने हेतु लगाया गया है। आपत्तीकर्ता संख्या 1 उक्त वाहन की स्वामी है। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त केस को जब तक निर्णित नहीं किया जाता और आपत्तिकर्तागण को दोषी करार नहीं दिया जाता तब तक आपत्तिकर्ता संख्या 1 के वाहन को जब्त किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। यदि उक्त वाहन को जब्त कर लिया गया तो आपत्तिकर्तागण तबाह व बरबाद हो जायेंगे। उक्त वाहन को पुलिस द्वारा उक्त अपराध में कतई झूठा व गलत फंसाया गया है। आपत्तिकर्तागण आपस में पति पत्नी है उक्त वाहन मोटर साइकिल आपत्तिकर्ता संख्या 2 की पत्नी आपत्तिकर्ता संख्या 1 के नाम पर है। अन्त में प्रार्थना की है कि न्यायहित में आपत्तिकर्ता के विरूद्ध जारी नोटिस निरस्त करने की कृपा करे।

4. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 15.12.2025 पारित करते हुए अपीलार्थिनी के उक्त वाहन को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया तथा पंजीकृत स्वामी/अपीलार्थिनी को वाहन स्पलेन्डर मोटरसाईकिल नम्बर UP–17AA–1405 को अपने पास बनाये रखने की एवज में अर्थदण्ड अंकन 60,000/–रूपये (साठ हजार रूपये) पारित आदेश की दिनांक से एक माह में जमा करने का विकल्प दिया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत सिविल अपील योजित की गयी है।

5. सिविल अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की गयी है कि अवर न्यायालय द्वारा निर्णय/आदेश तथ्य एवं विधि विरूद्ध है जो पूर्णतया खण्डित होने योग्य है। अवर न्यायालय के निर्णय/आदेश पारित करते समय पत्रावली का सही तरीके से परीशीलन नहीं किया गया है।आबकारी अधिनियम 1910 की धारा–72(5) के अनुसार "किसी पशु, गाडी, जलयान या अन्य वाहन को जब्त करने का कोई आदेश नहीं दिया जायेगा यदि उसका स्वामी कलेक्टर के सन्तोष अनुसार यह

साबित कर दे कि पशु, गाडी, जलयान या अन्य वाहन का प्रयोग उसके स्वामी अभिकर्ता यदि कोई हो और प्रभारी व्यक्ति की जानकारी या मौनानुमति के बिना विनिसिद्ध माल को ले जाने के लिये किया गया था।" अपीलार्थी एक ग्रहणी है उसने कभी भी अपनी मोटर साईकिल का गलत उपयोग नहीं किया है तथा न ही कभी शराब की तस्करी की है। उक्त मोटर साईकिल से प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी एवं उसके पति जितेन्द्र पुत्र सत्ते एक पारिवारिक वैवाहिक कार्यकम में जा रहे थे तभी रास्ते मे स्थानीय पुलिस द्वारा प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी व उसके पति को रोक कर उक्त मोटर साईकिल जब्त कर प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी (वाहन स्वामिनी) के पति/वाहन चालक पर मु०अ०सं० 475/2025 अन्तर्गत धारा–60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी के पति से 45 पव्वे देशी यू.पी. मार्का की फर्जी बरामदगी दिखायी है जबकि प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी के पति मोटर साईकिल चला रहे थे उनसे दिखायी गयी बरामदगी होना सम्भव नहीं है। प्रार्थिनी/अपीलार्थिनीी ने अवर न्यायालय में अपनी आपत्ति दाखिल करते समय उपरोक्त बातें उल्लिखित की थी कि उसने उक्त मोटर साईकिल का प्रयोग अवैध शराब की तस्करी के लिए कभी भी नहीं किया है। अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 15.12.2025 में जब्त किये गये वाहन रजि० नम्बर–UP–17AA1405 स्पलेन्डर मोटर साईकिल को जब्त करने एवम् उसके एवज मे अर्थदण्ड अंकन 60 हजार रूपये जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी बागपत द्वारा उक्त वाहन की अनुमानित बाजारू मूल्य आंका गया है के सम्पूर्ण धनराशि जमा करने का विकल्प दिया है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिपादित विधि व्यवस्था रिट–सी नं0–9234/2023 विक्रम कुमार सिंह बनाम उ० प्र० राज्य इत्यादि में जब्त वाहन की निर्धारित बाजारू मूल्य का 50 प्रतिशत जुर्माना एवं शेष 50 प्रतिशत का मुचलका दाखिल करने पर प्रश्नगत वाहनों को अवमुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया है परन्तु अवर न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था के विरूद्ध उक्त प्रश्नगत आदेश पारित किया है।प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी उक्त वाहन वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर UP–17AA1405 स्पलेन्डर मोटर साईकिल की तन्हा एवं रजिस्टर्ड स्वामिनी है। अभियोजन के द्वारा बतायी गयी घटना से प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी एवं उसके वाहन का परोक्ष व अपरोक्ष कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थिनी /अपीलार्थिनी द्वारा न तो शराब की तस्करी की गयी है और ना ही प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी के वाहन का कोई उपयोग शराब तस्करी में हुआ है। उक्त वाहन के थाना बागपत पर निरूद्ध रहने से प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी को अपार क्षति होने की सम्भावना है एवं उक्त वाहन के थाना बागपत पर खडे रहने से उसके खुर्द बुर्द होने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी कानून का पालन करने वाली सीधी सादी महिला है जिसका न तो कोई आपराधिक इतिहास है एवं न ही प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी की मोटर साईकिल किसी अन्य मामलें में पूर्व में लिप्त पायी गयी है। प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी का जब्त वाहन यदि उसके पक्ष में अवमुक्त किया जाता है तो अपीलार्थिनी उसे सम्बन्धित न्यायालय जब भी उसे तलब करेगा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। अतः याचना की गयी है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित

प्रश्नगत आदेश दिनांकित 15.12.2025 खण्डित किया जाकर अपीलार्थिनी के उक्त वाहन को अवमुक्त करने के आदेश पारित किए जाए।

6. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, सिविल द्वारा उक्त अपील के विरूद्ध लिखित आपत्ति करते हुए अपील निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

7. मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

8. प्रस्तुत मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री तथा उक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार अवधार्य प्रश्न सृजित किया जाता है–

9. **"क्या प्रस्तुत मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री तथा विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वाहन स्पलेन्डर मोटरसाईकिल नम्बर UP–17AA–1405, चैसिस नम्बर MALHAW230RGh01784, इंजन नम्बर HA11E8RGH01814 को प्रश्नगत आदेश के माध्यम से अधिहरण (जब्ती) किया जाकर तदनुसार नीलामी आदि अग्रेतर कार्यवाही कराया जाना न्यायसंगत है? "**

10. पुलिस अधीक्षक, बागपत की संस्तुति सहित प्रेषित आख्या दिनांक 22.08.2025 के द्वारा प्राप्त थाना प्रभारी थाना बागपत की आख्या दिनांक 19.08.2025 के आधार पर प्रारम्भ की गयी, जिसमें इंगित किया गया हैं कि थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 475/25 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम बनाम जितेन्द्र कुमार पुत्र सत्ते निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना व जिला बागपत द्वारा वाहन स्पलेण्डर मोटर साईकल नम्बर–UP–17AA–1405 चैसिस नम्बर–MBLHAW230RGH01784 इंजन नम्बर–HA11E8RGH01814 से 45 पव्वे देशी यूपी मार्का ले जाते समय गिरफ्तार किया गया है। उक्त वाहन श्रीमती पूजा पत्नी जितेन्द्र निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना व जिला बागपत के नाम पंजीकृत है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी बागपत द्वारा उक्त वाहन का अनुमानित बाजार मूल्य रू० –60,000/–(साठ हजार रूपये मात्र) आंका गया है। अन्त में अनुरोध किया गया है कि वाहन स्पलेण्डर मोटर साईकल नम्बर –UF–17AA–1405 चैसिस नम्बर–MBLHAW230RGH01784 इंजन नं0 HA11E8RGH01814 का प्रयोग अवैध शराब के परिवहन में करने के कारण उ०प्र० आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 72 के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाये।

11. अपीलार्थिनी द्वारा उक्त आवेदन में यह आधार लिये गये है कि अपीलार्थिनी तथाकथित वाहन की पंजीकृत स्वामी है। उक्त मोटर साईकिल से प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी एवं उसके पति जितेन्द्र पुत्र सत्ते एक पारिवारिक वैवाहिक कार्यकम में जा रहे थे तभी रास्ते में स्थानीय पुलिस द्वारा प्रार्थिनी /अपीलार्थिनी व उसके पति को रोक कर उक्त मोटर साईकिल जब्त कर प्रार्थिनी /अपीलार्थिनी (वाहन स्वामिनी) के पति/वाहन चालक पर मु०अ०सं० 475/2025 अन्तर्गत धारा–60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी के पति से 45 पव्वे देशी यू.पी. मार्का की फर्जी बरामदगी दिखायी है जबकि प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी के पति मोटर साईकिल चला रहे थे उनसे दिखायी गयी

बरामदगी होना सम्भव नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 15.12.2025 में जब्त किये गये वाहन रजि० नम्बर –UP–17AA1405 स्पलेन्डर मोटर साईकिल को जब्त करने एवम् उसके एवज मे अर्थदण्ड अंकन 60 हजार रूपये जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी बागपत द्वारा उक्त वाहन की अनुमानित बाजारू मूल्य आंका गया है के सम्पूर्ण धनराशि जमा करने का विकल्प दिया है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिपादित विधि व्यवस्था रिट–सी नं0–9234/2023 विक्रम कुमार सिंह बनाम उ० प्र० राज्य इत्यादि में जब्त वाहन की निर्धारित बाजारू मूल्य का 50 प्रतिशत जुर्माना एवं शेष 50 प्रतिशत का मुचलका दाखिल करने पर प्रश्नगत वाहनों को अवमुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया है परन्तु अवर न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था के विरूद्ध उक्त प्रश्नगत आदेश पारित किया है। अभियोजन के द्वारा बतायी गयी घटना से प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी एवं उसके वाहन का परोक्ष व अपरोक्ष कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थिनी /अपीलार्थिनी द्वारा न तो शराब की तस्करी की गयी है और ना ही प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी के वाहन का कोई उपयोग शराब तस्करी में हुआ है। उक्त वाहन के थाना बागपत पर निरूद्ध रहने से प्रार्थिनी/अपीलार्थिनी को अपार क्षति होने की सम्भावना है एवं उक्त वाहन के थाना बागपत पर खडे रहने से उसके खुर्द बुर्द होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः याचना की गयी है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 15.12.2025 खण्डित किया जाकर अपीलार्थिनी के उक्त वाहन को अवमुक्त करने के आदेश पारित किए जाए।

12. स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त मुकदमे में अभियुक्त जितेन्द्र कुमार को गिरफतार करके उसके कब्जे से उपरोक्त वाहन तथा उससे ले जायी जा रही 45 पव्वे देशी यू.पी. मार्का शराब बरामद होना दर्शाया गया है।

13. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

14. <u>Section 72 sub clause(2) of the U.P Excise Act provides as under:</u>

"72. What things are liable to confiscation. -

(2) Where anything or animal is seized under any provision of this Act, the officer seizing and detaining such property shall, within three working days from the date of such seizure and detention; produce a detailed report for confiscation along with such seized property, seizure memo and other relevant documents before the Collector. The Collector shall, upon receiving the said report along with seizure memo and seized property, immediately order for safe custody and storage of goods as he may deem fit. The Collector, if satisfied for reasons to be recorded that an offence has been committed due to which such thing or animal has become liable to confiscation under sub-section (1), he may order confiscation of such thing or animal

whether or not a prosecution for such offence has been instituted: Provided that in the case of anying (except an intoxicant) or animal referred to in sub-section (1), th ner thereof shall be given an option to pay in lieu of its confiscation such fine as the Collector thinks adequate, not exceeding its market value on the date of its seizure."

15. प्रश्नगत आदेश में इस आशय का उल्लेख है कि शराब की तस्करी में पकडे गये वाहन वाहन मोटरसाईकिल नम्बर UP-17AA-1405, चैसिस नम्बर MALHAW230RGh01784, इंजन नम्बर HA11E8RGH01814 को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाता है। वाहन की पंजीकृत स्वामी पूजा पत्नी जितेन्द्र निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना व जिला बागपत को वाहन रखने की एवज में अर्थदण्ड अंकन 60,000/-रूपये (साठ हजार रूपये) आदेश की दिनांक से एक माह में जमा किये जाने का विकल्प दिया जाता है। निश्चित अवधि में हर्जाना की धनराशि जमा नहीं कराये जाने पर थाना प्रभारी थाना बागपत द्वारा इस वाहन को नियमानुसार बाजारी मूल्य पर नीलाम कर इसके नीलाम से प्राप्त धनराशि को निर्धारित शासकीय मद में जमा कराया जायेगा।

16. **<u>संजीव बालियान प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य व समुन्द्रा वाली प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य</u>** उक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की माननीय एकल पीठों द्वारा यह अवधारित किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा-72 (2) के प्राविधानानुसार कलेक्टर अधिहरण (जब्ती) के बदले स्वामी द्वारा भुगतान की जाने वाली **निर्धारित अर्थदण्ड की धनराशि के सम्बन्ध में आदेश पारित करने के लिए बाध्य है और ऐसी धनराशि यान के अभिग्रहण की तिथि पर उसके बाजारू मूल्य से अधिक नहीं हो सकती, अतः यान के बाजारू मूल्य को सुनिश्चित करने का आदेश अधिहरण के लिए आदेश पारित करने के पूर्व करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक नहीं है कि अर्थदण्ड यान के बाजारू मूल्य के समान हो, किन्तु वह यान के बाजारू मूल्य से अधिक नहीं होगा।** <u>अर्थात कलेक्टर अधिहरण के बदले अर्थदण्ड की कम धनराशि को अधिरोपित करने के लिए सशक्त है और ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक ढंग से किया जाना चाहिए। अधिकतम अर्थदण्ड मात्र कठोर मामलों में अधिरोपित किया जाना चाहिए ना कि नैमित्तिक ढंग में।</u>

17. यहां यह विचारणीय है कि <u>Writ-C No.-9234 of 2023 Vikram Kumar Singh vs State of U.P. etc,</u> hon'ble Supreme Court held that "in the case of **Rajendra Kumar Mishra (Supra)** had noticed this inconsistency and had directed the release of the goods on paying a fine amounting to 50% of the written down value of the vehicle and further, for the rest 50%, the petitioner therein was given liberty to furnish a surety or bond to the satisfaction of the District Magistrate, which in my view is the right course to be adopted by

all the Collectors in the cases where the transport vehicles are seized and detained"

18. उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार आवेदकगण द्वारा जब्त वाहनों के मूल्यांकन का 50 प्रतिशत जुर्माना और शेष 50 प्रतिशत का मुचलका दाखिल करने पर प्रश्नगत वाहनों को अवमुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रश्नगत मामले में सम्भागीय परिवहन कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत वाहन स्पलेन्डर मोटरसाईकिल नम्बर UP-17AA-1405 का मूल्यांकन 60,000/-रूपये बताया गया है परन्तु अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते हुए अपीलार्थिनी को वाहन सम्भागीय परिवहन की उपरोक्त आख्या में अंकित मूल्यांकन की धनराशि को ही अर्थदण्ड के रूप में जमा किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। इस प्रकार अवर न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Writ-C No.-9234 of 2023 Vikram Kumar Singh vs State of U.P. etc**, के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है।

19. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में उक्त वाहन के अधिहरण आदि के संबंध में न्यायालय इस मत पर है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.12.2025 विधि सम्मत नहीं है। तद्नुसार प्रश्नगत आदेश दिनांकित 15.12.20225 के विरूद्ध संस्थित की गई इस सिविल अपील में बल है। अतः यह सिविल अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत सिविल अपील स्वीकार की जाती है तथा अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 15.12.2025 अपास्त किया जाता है।

अवर न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की एक प्रति सहित विद्वान अवर न्यायालय में इस आशय से प्राप्त करायी जाए कि वह न्यायालय इस प्रकरण में अभिग्रहित व निरूद्ध उक्त वाहन स्पलेन्डर मोटरसाईकिल नम्बर UP-17AA-1405, चैसिस नम्बर MALHAW230RGh01784, इंजन नम्बर HA11E8RGH01814 के अधिग्रहण (जब्ती) आदि के सम्बन्ध में इस निर्णय में दी गयी उक्तियों (ऑब्जर्वेशन्स) व इसमें वर्णित विधि सिद्धांतानुसार निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर व विशेषाधिकार का सम्यक प्रयोग करके तथा पक्षकारों के तर्क सुनकर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें। पक्षकार अवर न्यायालय में दिनांक 16.03.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दिनांकः 06.03.2026

(मनोज कुमार-III),
जिला जज,
बागपत।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः 06.03.2026

(मनोज कुमार-III),
जिला जज,
बागपत।